न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 28 / 2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025 / 29

अनवान

मांगी पत्नी तेजु जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–

बनाम

1– भद्दू पत्र हीरा माली निवासी गोपाल जी के मंदिर के पास, कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– आशाराम पुत्र शोकिन्द जाट निवासी जाटों की गली कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– नन्दु देवी पत्नी गणेश माली निवासी खेड़ा उपर, कादीसहना तहसील शाहपुरा
4– जगदीश पुत्र रामदयाल खाखल जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
5– रामनारायण पुत्र हीरा माली निवासी खेडा उपर की गली, कादीसहना तहसील शाहपुरा
6– भंवर लाल पुत्र बद्रीलाल खाखल जाट निवासी गोपाल जी के मंदिर के पास, कादीसहना तहसील शाहपुरा
7– महादेव पुत्र धन्ना खाखल निवासी गोपाल जी के मंदिर के पास, कादीसहना तहसील शाहपुरा
8– देवेन्द्र पुत्र भंवर लाल बुलिया निवासी लोडा जी की हवेली के पास, फुलिया गेट, शाहपुरा
9– कालु पुत्र देबी बैरवा निवासी छापरिया बस्ती, कादीसहना तहसील शाहपुरा
10– गोविन्द पुत्र रामस्वरूप जाट निवासी गोपाल जी के मंदिर के पास, कादीसहना तहसील शाहपुरा
11– धन्ना पुत्र बालु बैरवा निवासी मीणों का झुपड़ा, कादीसहना तहसील शाहपुरा
12– चोथमल पुत्र नारायण बैरवा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

–प्रार्थीया

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 28.05.2025

उपस्थित :–

श्री शिवराज कुमावत : अधिवक्ता
प्रार्थीया संख्या एकपक्षीय

::– निर्णय –::

दिनांक : 05.08.2025

1. वकील मय ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि की खातेदारी की भूमि राजस्व **ग्राम कादीसहना प0ह0 कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.11 है0, 2526 रकबा 0.55 है0, 2527 रकबा 0.04 है0, 2595 रकबा 0.31 है0, 662 रकबा 0.52 है0, 664 रकबा 0.48 है0, 665 रकबा 0.51 है0, 666 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 रकबा 2.53 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थी अपनी आराजी पर हंकाई हेतु गया तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** अतः वाद हेतु तारीख 05.05.2025 से पैदा होकर जारी है।
2. का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली प्रार्थीया संख्या को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 05.08.2025को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि की खातेदारी भूमि राजस्व **ग्राम कादीसहना प0ह0 कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.11 है0, 2526 रकबा 0.55 है0, 2527 रकबा 0.04 है0, 2595 रकबा 0.31 है0, 662 रकबा 0.52 है0, 664 रकबा 0.48 है0, 665 रकबा 0.51 है0, 666 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 रकबा 2.53 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व **ग्राम कादीसहना प0ह0 कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा** के खेत की आराजी **खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.11 है0, 2526 रकबा 0.55 है0, 2527 रकबा 0.04 है0, 2595 रकबा 0.31 है0, 662 रकबा 0.52 है0, 664 रकबा 0.48 है0, 665 रकबा 0.51 है0, 666 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 रकबा 2.53 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की **जमाबंदी संवत् 2076 से 2079** का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.11 है0, 2526 रकबा 0.55 है0, 2527 रकबा 0.04 है0, 2595 रकबा 0.31 है0, 662 रकबा 0.52 है0, 664 रकबा 0.48 है0, 665 रकबा 0.51 है0, 666 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 रकबा 2.53 है0** की अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वंतत्र है, जिसके हकदार प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए के खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम कादीसहना प0ह0 कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.11 है0, 2526 रकबा 0.55 है0, 2527 रकबा 0.04 है0, 2595 रकबा 0.31 है0, 662 रकबा 0.52 है0, 664 रकबा 0.48 है0, 665 रकबा 0.51 है0, 666 रकबा 0.01 है0** एवं इससे लगती प्रार्थीया की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए की आराजी का के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **05-08-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि तहसीलदार, शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा